

समाहरणालय, मधेपुरा।

पत्रांक-343-सा0सु0को0,

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा कोषांग,मधेपुरा।

सेवा में,

निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना।

दिनांक- 3 सितम्बर, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत वितरण हेतु आवंटन संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के वित्तीय वर्ष 2015-16 में भुगतान हेतु निम्न प्रकार अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

क्र०	योजना का नाम	लाभार्थी की सं०	आवश्यकता	अभ्युक्ति
1	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (सामान्य घटक)	59460	22000000	
2	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (विशेष घटक)	29002	10000000	
3	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (सामान्य घटक)	8092	8000000	
4	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (विशेष घटक)	4365	6000000	
5	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (सामान्य घटक)	338	190000	
6	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (विशेष घटक)	159	85000	
7	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (सामान्य घटक)	3506	6000000	
8	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (विशेष घटक)	1845	4500000	
9	राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (सामान्य घटक)	522	200000	
10	राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (विशेष घटक)	345	100000	
11	बिहार निःशक्तता पेंशन योजना (सामान्य घटक)	4873	3000000	
12	बिहार निःशक्तता पेंशन योजना (विशेष घटक)	3271	2000000	
कुल योग :-		115778	62075000	

(छः करोड़ बीस लाख पचहतर हजार) रुपये मात्र

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त राशि उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

3/9/15
सहायक निदेशक,
सा0सु0को0,मधेपुरा।